न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 100/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/162

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. श्रीमती सुगनीदेवी पुत्री श्री भंवरलाल पत्नी सोहनलाल निवासी अण्दावलों का बास, जोधपुरिया गेट के अंदर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज.) 2. सुशीला पुत्री श्री भंवरलाल पत्नी श्री नेमाराम निवासी पंचोल नाडी बेरा नवोड़ा धीनावास रोड़ सोजत सिटी पाली जिला सोजत (राज.)		1. श्रीमती चण्दनाई पत्नी स्व. भंवरलाल जाति घांची निवासी पंचोलनाडी बेरा नवोडा धीनावास रोड सोजत सिटी जिला पाली (राज.) 2. कन्हैयालाल पुत्र स्व. भंवरलाल जाति घांची निवासी पंचोलनाडी बेरा नवोडा धीनावास रोड़ सोजत सिटी जिला पाली हाल पता खेरवा बेरा असल की बावड़ी तहसील व जिला पाली (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल
रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित,
श्री भैराराम परिहार
रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जनक शर्मा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.11.2025

जिला कलेक्टर पाली

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी सोजत के प्रकरण संख्या 02/2023 बअनवान चन्दणाई बनाम कन्हैयालाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपील–अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल, रेस्पो. संख्या 01 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भैराराम परिहार एवं रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जनक शर्मा उपस्थित हुए। वक्त उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलाण्ट ने अपील–मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 01 अपीलाण्ट्स की माता व रेस्पो. संख्या 02 अपीलाण्ट्स का भाई है। हम अपीलाण्ट्स हमारी पैतृक सम्पति से प्राप्त हिस्से में रह रहे है व अपीलाण्ट संख्या 01 जो कि विधवा है जिसके पास आय का स्त्रोत नहीं है तथा पैतृक सम्पति में प्राप्त कृषि भूमि में बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी कर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे है। अपीलाण्ट संख्या दो गृहिणी है जिनके पास आय का स्त्रोत नहीं है जबकि रेस्पो. संख्या 02 जो कि रेस्पो. संख्या 01 का पुत्र होने के कारण अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान आदि कर उनकी

समस्त राशि अपने कब्जे में कर अपनी माता को उल्टी–उल्टी बाते सिखाकर हम अपीलाण्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध माहवारी भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 2000/– रूपये दिलवाये जाने का एकतरफा आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है एवं जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार विधिक भूल नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट्स पैतृक सम्पति से प्राप्त हिस्से में ही निवास करती है व पैतृक सम्पति से प्राप्त हिस्से में ही खेती बाड़ी का कार्य करती है जिससे उनके अच्छी आय प्राप्त होती है। अतः जैर अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज फरमावे।

श्रवणशुदा बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर प्रकरण में अपीलाण्ट के मुख्य उज्र यह है कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अपीलाण्ट्स को जैर अपीलाधीन आदेश की कभी जानकारी नहीं रही परन्तु जब रेस्पो. संख्या 02 ने अपीलार्थीगण को कहा कि अब तुम्हें रेस्पो. संख्या 01 जो कि माता है, को हर महीने 2000/– देने होंगे। इस पर अपीलाण्ट ने जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपित दिनांक 06.08.2024 को चाही जिस पर उक्त आदेश की प्रतिलिपि उनके दिनांक 11.09.2024 को प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह रहा कि रेस्पो. संख्या 01 जो कि अपीलाण्ट की माता है, उसके रेस्पो. संख्या 02 व अपीलाण्ट को मिलाकर तीन संतान है, जिनमें अपीलाण्ट्स तो रेस्पो. संख्या 01 की विवाहित पुत्रियां है तथा उनमें से अपीलाण्ट संख्या 01 तो विधवा है जिससे वह अपने बच्चों का लालन–पोषण स्वयं खेती बाड़ी से प्राप्त आय से करती है। विपक्षी रेस्पो. संख्या 01 का प्रमुख उज्र है कि वह एक 78 वर्ष की विधवा एवं वृद्ध है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है व अपीलाण्ट जो कि रेस्पो. संख्या 01 की पुत्री है जो उसका परम कर्त्तव्य है कि वे अपने वृद्ध माता पिता का भरण–पोषण करे।

जैर प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि जैर अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2023 को पारित किया है एवं उक्त दिनांक को अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो गये थे जिससे यह साबित नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। अपीलाण्ट का यह कथन कि उसकी माता के एक पुत्र है एवं अपीलाण्ट्स रेस्पो. संख्या 01 की विवाहित पुत्री है तो माता के भरण–पोषण की राशि केवल उसके पुत्र पर ही निर्धारित की जानी चाहिए थी। माता –पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार किसी भी माता–पिता के भरण –पोषण का परम कर्त्तव्य उसकी संतान का होता है एवं उक्त अधिनियम में **'संतान'** की परिभाषा के अन्तर्गत उसके व्यस्क पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री सम्मिलित है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय ने जैर अपीलाधीन आदेश पुत्र एवं पुत्रियों के विरूद्ध पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं पाते। इसके अतिरिक्त रेस्पो. संख्या 01 जो कि अपीलाण्ट की माता है एक विधवा एवं 78 वर्ष की वृद्ध है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण अधिनियम 2007 की धारा 9(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसा अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जाए, वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये और जो दस हजार रूपये प्रति

जिला कलेक्टर, पाली

मास से अधिक नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण में रेस्पो. संख्या 01 के एक पुत्र एवं दो पुत्रियां है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने एक पुत्र जो कि रेस्पो. संख्या 02 है एवं पुत्रियां जो कि अपीलाण्ट्स है, पर उसके वृद्ध माता के भरण–पोषण हेतु अधिकतम दो–दो हजार रूपये की राशि प्रतिमाह अदा करने का जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि विधिनुसार ही निर्धारण किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते।

लिहाजा उक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2023 को यथावत रखा जाकर अपीलाण्ट्स को आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के भरण–पोषण हेतु निर्धारित राशि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2023 से 2000 रूपये प्रतिमाह करते है जो रेस्पो. संख्या 01 के खाते में अदा करेंगे एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक से एक माह की अवधि में मय एरियर रेस्पो. संख्या 01 के खाते में जमा करवायेंगे तथा जमा रसीद अपने पास बतौर सबूत रखे। अपीलाण्ट उक्त राशि सही समय पर प्रार्थीया के बैंक खाता मे जमा करावें तथा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते तथा अपीलाण्ट रेस्पो. संख्या 01 श्रीमती चन्दणाई की सेवा एवं सम्मान करे तथा आपसी सौहार्द्र बनाये रखे। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर अपीलाण्ट के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भिजवाया जावे एवं निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **24.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली